



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05082020-220850
CG-DL-E-05082020-220850

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 304]
No. 304]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 31, 2020/ श्रावण 9, 1942
NEW DELHI, FRIDAY, JULY 31, 2020/SHRAVANA 9, 1942

विश्व मामलों की भारतीय परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2020

फा.सं. ICWA/Admn./551/IV/Council/2016.— विश्व मामलों की भारतीय परिषद् अधिनियम, 2001

(2001 का 29) की धारा 7 की उप-धारा (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार यह अधिसूचित करती है कि इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए विश्व मामलों की भारतीय परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्: —

(क) इस अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (2) के खण्ड (क) के तहत परिषद् के अध्यक्ष (पदेन)	
भारत के माननीय उप राष्ट्रपति	
(ख) इस अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (2) के खण्ड (ख) के तहत परिषद् द्वारा नामित तीन उपाध्यक्ष	
(i)	विदेश मंत्री

(ii)	अध्यक्ष, विदेश मंत्रालय की संसदीय स्थायी समिति	
(iii)	श्री राजीव कुमार उपाध्यक्ष निति आयोग	
(ग) इस अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (२) के खण्ड (ग) के तहत परिषद द्वारा नामित महानिदेशक:		
	डॉ. टी. सी. ए. राघवन, भारतीय विदेश सेवा (सेवानिवृत्त)	सदस्य सचिव पदेन
(घ) इस अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (२) के खण्ड (घ) के तहत लोक सभा अध्यक्ष द्वारा नामित लोक सभा के पांच सदस्य: और राज्य सभा के सभापति द्वारा नामित राज्य सभा के तीन सदस्य:		
(i)	डॉ. हीना विजयकुमार गावित सदस्य, लोकसभा	
(ii)	डॉ. वीरेंद्र कुमार सदस्य, लोकसभा	
(iii)	श्री जामयांग शेरींग नामग्याल सदस्य, लोकसभा	
(iv)	श्रीमती अनुप्रिया पटेल सदस्य, लोकसभा	
(v)	कुमारी अगाथा के. संगमा सदस्य, लोकसभा	
(vi)	श्री आनंद शर्मा सदस्य, राज्यसभा	
(vii)	डॉ. विनय पी. सहस्रबुद्धे सदस्य, राज्यसभा	
(viii)	डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी सदस्य, राज्यसभा	
(ड.) इस अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (2) के खण्ड (ड) के तहत परिषद द्वारा नामित राजनय, अंतर्राष्ट्रीय मामले, अंतर्राष्ट्रीय कानून, बहुपक्षीय अथवा सयुंक्त राष्ट्र मामले, सुरक्षा तथा निःशस्त्रीकरण के क्षेत्र में विशिष्ट सात सदस्य:		
(i)	श्री सुजान चिनॉय - सेवानिवृत्त आईएफएस (1981) जापान में भूतपूर्व भारतीय राजदूत	
(ii)	कुमारी प्रीति सरन - सेवानिवृत्त IFS (1982) और सदस्य - एशिया पैसिफिक सीट - UN CESC	
(iii)	डॉ. संजय बारू - भूतपूर्व महासचिव, फिक्की	
(iv)	श्री सैयद अता हसनैन - सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल, भारतीय सेना	
(v)	श्री शेखर सिन्हा - सेवानिवृत्त नौसेना उपाध्यक्ष एडमिरल	

(vi)	श्री अनिरुद्ध राजपूत - सदस्य, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय कानून आयोग
(vii)	डॉ. राजा राम पांडा - भूतपूर्व वरिष्ठ फेलो, रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान
(च) इस अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (2) के खण्ड (च) के तहत परिषद् के द्वारा नामित विश्वविद्यालय अथवा उच्चतर शिक्षण अनुसंधान संस्थानों का प्रतिनिधित्व करने वाले सात सदस्य (जिनमें से कम से कम दो कुलपति होने हैं) जो इतिहास, अर्थशास्त्र और अन्य विज्ञानों के में विशेषज्ञ हों :	
(i)	प्रो. जगदीश कुमार - कुलपति, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय
(ii)	डॉ. गुरमीत सिंह - कुलपति, पांडिचेरी विश्वविद्यालय
(iii)	डॉ. सुधीर जैन - निदेशक, आई.आई.टी. गांधीनगर
(iv)	डॉ. जे. एम. व्यास - महानिदेशक, गुजरात फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय
(v)	प्रो. श्रीकांत कोंडापल्ली - प्रोफेसर, सेंटर फॉर ईस्ट एशियन स्टडीज, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय
(vi)	डॉ. मकरंद आर. परांजपे - निदेशक, भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान, शिमला
(vii)	डॉ. कविता शर्मा - भूतपूर्व अध्यक्ष, दक्षिण एशिया विश्वविद्यालय
(छ) इस अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (2) के खण्ड (छ) के तहत परिषद की शासी निकाय द्वारा चयनित सात सदस्य, जो मीडिया के गणमान्य व्यक्ति हों और परिषद के कार्य तथा उद्देश्यों में रुचि रखते हों :	
(i)	श्री अशोक मलिक - नीति सलाहकार, विदेश मंत्रालय और भारत के राष्ट्रपति के पूर्व प्रेस सचिव
(ii)	श्री स्वपन दासगुप्ता - प्रख्यात पत्रकार
(iii)	श्री शशि शेखर वेम्पति - मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रसार भारती
(iv)	श्री मनीष बारडिया - संस्थापक, मूविंग पिक्सल
(v)	डॉ. शैलेश नायक - निदेशक, राष्ट्रीय उन्नत अध्ययन संस्थान
(vi)	डॉ. सचिन चतुर्वेदी - महानिदेशक, विकासशील देशों की अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली
(vii)	कुमारी ललिता कुमारमंगलम - भूतपूर्व अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग
(ज) इस अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (2) के खण्ड (ज) के तहत परिषद् के शासी निकाय द्वारा नामित पांच सदस्य, जो व्यापार अथवा चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधि हों:	
(i)	श्री सी. बेनर्जी, महानिदेशक, भारतीय उद्योग परिसंघ
(ii)	कुमारी देबजानी घोष - प्रथम महिला अध्यक्ष, NASSCOM
(iii)	श्री दिलीप चिनाय - सदस्य सचिव, FICCI
(iv)	श्री मिलिंद कांबले - संस्थापक अध्यक्ष, DICCI
(v)	श्री हर्ष संघवी - हीरा उद्योग के नेता और 2 बार गुजरात के विधायक

(झ) इस अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (2) के खण्ड (झ) के तहत विदेश मंत्रालय के तीन सदस्य, पदेन	
(i)	श्री हर्ष वर्धन श्रृंगला , विदेश सचिव
(ii)	श्री जे.एस. मुकुल, डीन, विदेश सेवा संस्थान
(iii)	श्री राज कुमार गोयल, अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार
(ण) इस अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (2) के खण्ड (ञ) के तहत क्रमशः शिक्षा, संस्कृति, शहरी विकास, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा रक्षा का कार्य देख रहे केन्द्र सरकार के मंत्रालयों का प्रतिनिधित्व कर रहे केन्द्र सरकार द्वारा नामित पांच सदस्य:	
(i)	डॉ. अजय कुमार, रक्षा सचिव, रक्षा मंत्रालय
(ii)	प्रो. आशुतोष शर्मा, सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
(iii)	श्री आनंद कुमार, सचिव, संस्कृति मंत्रालय
(iv)	श्री अमित खरे, सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(v)	श्री दुर्गा शंकर मिश्रा, सचिव, शहरी विकास मंत्रालय

सौमेन बागची, उप महानिदेशक
[विज्ञापन-III/4/असा./161/2020]

INDIAN COUNCIL OF WORLD AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st, July, 2020

F. No. ICWA/Admn./551/IV/Council/2016.— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 7 of the Indian Council of World Affairs Act, 2001 (29 of 2001), the Central Government hereby notify that the Indian Council of World Affairs shall consist of the following members for a period of three years from the date of publication of this notification, namely :—

(a) President of the Council, <i>ex-officio</i> under clause (a) of sub-section (2) of section 7 of the Act :	
Hon'ble Vice President of India	
(b) Three Vice-Presidents nominated by the Council under clause (b) of sub-section (2) of section 7 of the Act :	
(i)	The External Affairs Minister
(ii)	Chairperson, Parliamentary Standing Committee of Ministry of External Affairs
(iii)	Shri Rajiv Kumar

	Vice Chairman NITI Aayog
(c) Director General, nominated by the Council under clause (c) of sub-section (2) of section 7 of the Act :	
	Dr. T. C. A. Raghavan, Indian Foreign Service (Retd.)
	Member-Secretary <i>ex-officio</i>
(d) Five members of the Lok Sabha nominated by the Speaker of the Lok Sabha ; and three members of the Rajya Sabha nominated by the Chairman of the Rajya Sabha under clause (d) of sub-section (2) of section 7 of the Act :	
(i)	Dr. Heena Vijaykumar Gavit Member , Lok Sabha
(ii)	Dr. Virendra Kumar Member, Lok Sabha
(iii)	Shri Jamyang Tsering Namgyal Member, Lok Sabha
(iv)	Smt. Anupriya Patel Member , Lok Sabha
(v)	Ms. Agatha K. Sangma Member , Lok Sabha
(vi)	Shri Anand Sharma Member, Rajya Sabha
(vii)	Dr. Vinay P. Sahasrabuddhe Member, Rajya Sabha
(viii)	Dr. Abhishek Manu Singhvi Member, Rajya Sabha
(e) seven members, distinguished in the field of diplomacy, international affairs, international law, multi-lateral or United Nations affairs, security and disarmament; nominated by the Council under clause (e) of sub-section (2) of section 7 of the Act :	
(i)	Shri Sujan Chinoy – Retd. IFS Fr Indian Ambassador to Japan
(ii)	Ms. Preeti Saran – Retd. IFS & Member – Asia Pacific Seat – UN CESC
(iii)	Dr. Sanjaya Baru – Former SG, FICCI
(iv)	Shri Syed Ata Hasnain – Retd. Lt. Gen., Indian Army
(v)	Shri Shekhar Sinha – Retd. Navy Vice Admiral
(vi)	Shri Aniruddha Rajput – Member, UN International Law Commission
(vii)	Dr. Raja Ram Panda – Former Sr. Fellow, Institute for Defence Studies & Analyses
(f) seven members, representing Universities or research institutions of higher learning (of which at least two have to be the Vice-Chancellors) who are experts in the fields of history, economics and other sciences, nominated by the Council under clause (f) of sub-section (2) of section 7 of the Act :	
(i)	Prof. Jagadesh Kumar – Vice-Chancellor, Jawaharlal Nehru University
(ii)	Dr. Gurmeet Singh – Vice-Chancellor, Pondicherry University
(iii)	Dr. Sudhir Jain – Director, IIT Gandhinagar
(iv)	Dr. J. M. Vyas – DG, Gujarat Forensic Sciences University
(v)	Prof. Srikant Kondapalli – Professor, Centre for East Asian Studies, JNU
(vi)	Dr. Makarand R Paranjape – Director, Indian Institute of Advanced Study, Shimla
(vii)	Dr. Kavita Sharma – Former President, South Asia University
(g) Seven members who are either media personalities or representatives of organizations and interested in the work and objectives of the Council ; selected by the Governing Body of the Council under clause (g) of sub-section (2) of Section 7 of the Act :	
(i)	Shri Ashok Malik – Policy Advisor , Ministry of External Affairs and Former Press Secretary to President of India
(ii)	Shri Swapan Dasgupta – Eminent Journalist
(iii)	Shri Shashi Shekhar Vempati – CEO, Prasar Bharati

(iv)	Shri Manish Baradia – Founder, Moving Pixel
(v)	Dr. Shailesh Nayak – Director, National Institute of Advanced Studies, Bangalore
(vi)	Dr. Sachin Chaturvedi – DG, Research & Information System for Developing Countries
(vii)	Ms. Lalita Kumaramangalam – fr Chairperson, National Commission for Women
(h) Five Members who are representatives of Business or Chambers of Commerce, nominated by the Governing Body of the Council under clause (h) of sub-section (2) of Section 7 of the Act :	
(i)	Shri C. Banerjee, Director General, Confederation of Indian Industry
(ii)	Ms. Debjani Ghosh –President, NASSCOM
(iii)	Shri Dilip Chenoy– SG, FICCI
(iv)	Shri Milind Kamble – Founder Chairman, DICCI
(v)	Shri Harsh Sanghavi – Diamond Industry Leader & 2-time Gujarat MLA
(i) Three members from the Ministry of External Affairs, ex-officio under clause (i) of sub-section (2) of Section 7 of the Act :	
(i)	Shri Harsh Vardhan Shringla, Foreign Secretary
(ii)	Shri J. S. Mukul, Dean, Foreign Service Institute
(iii)	Shri Raj Kumar Goyal, Additional Secretary & Financial Adviser
(j) Five members nominated by the Central Government to represent, respectively, the Ministries of the Central Government dealing with Education, Culture, Urban Development, Science and Technology and Defence, <i>ex-officio</i> under clause (j) of sub-section (2) of Section 7 of the Act :	
(i)	Dr. Ajay Kumar, Defence Secretary, Ministry of Defence
(ii)	Prof. Ashutosh Sharma, Secretary, Dept. of Science and Technology, Ministry of Science and Technology
(iii)	Shri Anand Kumar, Secretary, Ministry of Culture
(iv)	Shri Amit Khare, Secretary, Department of Higher Education, Ministry of Human Resource Development
(v)	Shri Durga Shanker Mishra, Secretary, Ministry of Urban Development

[ADVT.-III/4/Exty.161/2020]

SOUMEN BAGCHI, Dy. Dir. Genl.